न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–57/24 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्याः– 2024/152

उनवान

1. शिवचरनलाल पुत्र श्री कल्यानदास जाति कोली आयु 65 साल निवासी मौहल्ला खदाना पुराना शहर धौलपुर।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. गोविन्द सिंह पुत्र उत्तम सिंह जाति ठाकुर उम्र 35 साल निवासी गुरूद्वारा रोड धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर प्रकरण संख्या 19/2006 उनवानी शिवचरनलाल बनाम गोविन्द सिंह।

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह डागुर वकील अपीलाण्ट।
2. रेस्पोंडेंट बाबजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–10.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 132 रकवा 8 विस्वा का वादी अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार काबिज है। उक्त विवादित आराजी को वादी अपीलाण्ट ने तत्कालीन खातेदार काश्तकार से जरिये रजिस्टर्ड पंजीकृत विक्रयष्पत्र दिनांक 03.10.1983 को क्रय किया था और क्रय करने की रोज से ही विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। विवादित आराजी से प्रतिवादी रैस्पो0 का कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। परन्तु प्रतिवादी रैस्पो0, वादी अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से

पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। विवादित आराजी कभी भी नगर पालिका में निहित नहीं रही है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रैस्पो0 द्वारा कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी आबादी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने मात्र जवाब दावा प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र, जवाब दावा आने के बाद तनकीयात कायम कर पक्षकारो को साक्ष्य का अवसर देते हुये तय करना चाहिये था। क्योंकि विवादित भूमि आबादी भूमि है या कृषि भूमि है उक्त तथ्य विधि एवं तथ्य का मिश्रित बिन्दू है, जो कि पक्षकारो से साक्ष्य आदि ली जाकर ही तय किया जा सकता है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया जाकर मनमाने तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2009(1) पेज 410 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2059–62 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि विवादित आराजी नामान्तकरण दिनांक 06.08.2004 के द्वारा 90 बी के आदेश के तहत नगर पालिका धौलपुर के नाम दर्ज की गयी है। इस प्रकार विवादित भूमि कृषि भूमि ना होकर आबादी में दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नजरी नक्शा दिनांक 03.02.2006 से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर कृषि ना होकर, छोटे–छोटे भूखण्डो के रूप में, आबादी के काम आ रही है। इस प्रकार विवादित भूमि कृषि प्रयोजनार्थ ना होकर आबादी के रूप में काम आ रही है एवं आबादी की भूमि के विवादो को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालयो को है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने दावा में नगर पालिका को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है, जो कि आवश्यक पक्षकार थी। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट ने दावा स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख से विवादित आराजी स्पष्ट रूप से आबादी की भूमि होना प्रमाणित है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से वादी अपीलाण्ट का दावा विधि से वाधित होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत खारिज किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.2009 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर